उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–21/2022–23

सुखराज ठाकुर

बनाम्

नागेश्वर ठाकुर एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 24/4/23

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता सुखराज ठाकुर, पे0–सिंघेश्वर ठाकुर, सा0–बकिया दियारा, थाना–बरारी, जिला–कटिहार (बिहार) के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के रा0वि0 वाद सं0–4/2020–21 के आदेश दिनांक–09.12.2021 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने रा0वि0 वाद सं0–4/2020–21 के आदेश दिनांक–09.12.2021 के द्वारा मौजा–गझंडा नं0–393, जमाबंदी सं0–42, दाग नं0–528 रकवा 00–17–14 धुर कुल रकवा 05–00–17 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष नागेश्वर ठाकुर ने मौजा–गझंडा नं0–393, जमाबंदी सं0–42, दाग नं0–528 रकवा 04–03–03 धुर एवं दाग नं0–568 रकवा 00–17–14 धुर कुल रकवा 05–00–17 धुर जमीन पर दखल दिहानी के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में रा0वि0 वाद सं0–4/20–21 दायर किया। न्यायालय के नोटिश पर अपीलकर्त्ता उपस्थित हुए एवं उक्त वाद में अपना कारण–पृच्छा दाखिल किया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने दिनांक–09.12.21 को उक्त वाद में आदेश पारित कर अपीलकर्त्ता को अपील वादगत जमीन से उच्छेद किया गया। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने इस तथ्यों पर विचार नहीं कया गया कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष बिल्कुल ही बाहरी व्यक्ति है एवं उक्त जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में अपीलकर्त्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा निर्गत संबंध प्रमाण पत्र भी दाखिल किया गया था। उक्त संबंध प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारी है एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा भेजे गये जाँच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी के

जमाबंदी रैयत के वंशज है। चूँकि अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के वंशज है। इसलिए उसे उक्त जमीन से उच्छेद करने का सवाल ही नहीं उठता है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के रा0वि0 वाद सं0–4/20–21 में दिनांक–09.12.21 के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील आवेदन के साथ लिमीटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दिया गया है।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–अमडीहा के जमाबंदी सं0–23 एवं मौजा–गझंडा के जमाबंदी सं0–42 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में माखन ओस्ता एवं अन्य के नाम से दर्ज है एवं दोनों मौजा के जमाबंदी के दखल कॉलम में अलग–अलग जमाबंदी रैयत का नाम दर्ज है। जमाबंदी रैयत माखन ओस्ता का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

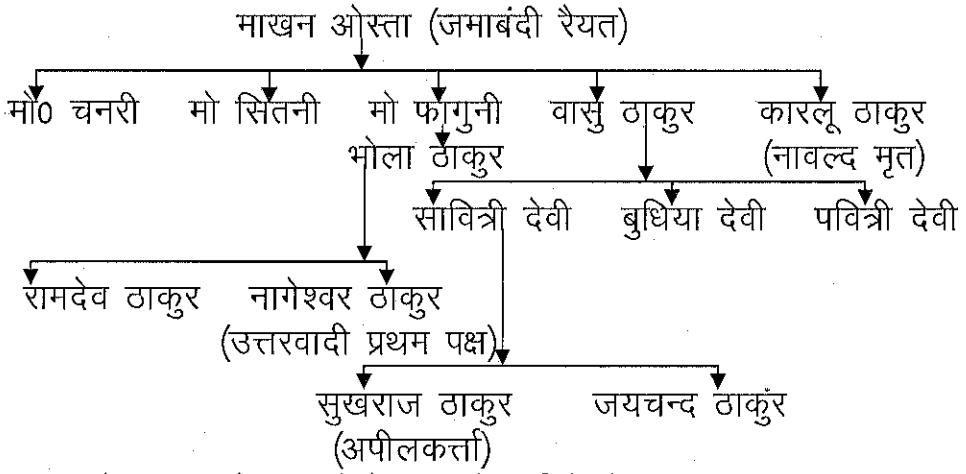

उनका आगे कथन है कि दोनों पक्ष के पूर्वजों ने उक्त जमाबंदी की जमीन का निबंधित दस्तावेज सं0–45 दिनांक–07.06.1984 के द्वारा आपसी बँटवारा कर लिया है, जिसके अनुसार उक्त दाग नं0–528 रकवा 04–03–03 धुर एवं दाग नं0–568 रकवा 00–17–14 धुर जमीन उत्तरवादी प्रथम पक्ष को हिस्से में प्राप्त हुआ है तथा वे उस पर दखलकार होकर कृषि कार्य कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 2020 में अपीलकर्त्ता ने जबरन उक्त जमीन जोतना शुरू कर दिया एवं दावा करना शुरू कर दिया कि जमीन संयुक्त है एवं आरोप लगाने लगा कि बँटवारा जो किया गया, वह कपटपूर्ण तरीका से बँटवारा किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरवादी प्रथम ने बँटवारा दस्तावेज एवं टाईटल सूट नं0–24/1961 के तथ्यों को रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में रा0वि0 वाद सं0–4/20–21 दायर किया गया। अनुमंडल

पदाधिकारी, महागामा ने सिविल न्यायालय के टाईटल सूट नं0–24/1961 एवं निबंधित बँटवारानामा दस्तावेज सं0–45 दिनांक–07.06.84 के आधार पर अपीलकर्त्ता के उक्त जमीन से उच्छेद किया गया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–गझण्डा थाना नं0–393 जमाबंदी नं0–42 के जमाबंदी रैयत माखन वोस्ता वल्द भैरो वोस्ता वो राम लाल वोस्ता वो दशरथ वोस्ता पेशरान झकसू वोस्ता वो त्रिलोकी वोस्ता वल्द शिवचरण वोस्ता वो मनोहर वोस्ता वल्द शौखी वोस्ता वो वीमुनी वोस्ता वल्द शिवचरण वोस्ता वो खखरू वोस्ता वल्द शिवचरण वोस्ता वो गोपाल वोस्ता वल्द बुलाकी वोस्ता कौम हजाम साकिन बेलडीहा कहकर सर्वे खतियान में दर्ज है। अपील वादगत जमीन जमाबंदी नं0–42 के अन्तर्गत दाग नं0–528 रकवा 04–03–03 धुर धानी दोयम तथा दाग नं0–568 रकवा 00–17–14 धुर धानी दोयम कैफियत कॉलम में दखल रैयत माखन वोस्ता के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी ने उक्त जमीन बँटवारानामा के आधार पर प्राप्त होने का दावा किया गया है। लेकिन बँटवारानामा में भोला ठाकुर को टुबनी देवी का पोष्यपुत्र बताया गया है एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा उक्त पोष्यपुत्रनामा एवं बँटवारानामा को संदेहस्पद बताया गया है। उत्तरवादी के द्वारा वर्तमान अपील वाद में भी अपने दावी से संबंधित कागजात का मूल प्रति में दाखिल नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत माखन ओस्ता के पुत्री वंशज में आते हैं। चूँकि दोनों ही पक्ष का दावा स्वत्व से संबंधित है एवं स्वत्व का निर्धारण संक्षिप्त विचारण के द्वारा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के रा0वि0 वाद सं0–4/2020–21 के आदेश दिनांक–09.12.2021 को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा। 24/04/23

उपायुक्त,
गोड्डा। 24/04/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:45:13 +05:30
Location: 172.21.32.1